



## PMLA, 2002 का पुनर्वलोकन

यह एडटिरियल 02/04/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "The PMLA — a law that has lost its way" लेख पर आधारित है। इसमें धन शोधन नवीरण अधनियम (PMLA), 2002 के वभिन्न पहलुओं की पड़ताल की गई है। इसमें इस गंभीर चति को भी उजागर कथि गया है कि PMLA में डरग धन शोधन से नपिटने के इसके प्राथमिक उद्देश्य से असंबंधित अपराध भी शामिल कथि गए हैं।

### प्रलिमिस के लयि:

सर्वोच्च नयायालय, मनी लॉन्डरगि, मनी लॉन्डरगि रोकथाम अधनियम, 2002, प्रवरतन नदिशालय, नारकोटकि डरग्स और साइकोट्रोपकि पदारथों के अवैध यातायात के खलिफ संयुक्त राष्ट्र कनवेशन (1988), वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम, 1999।

### मेन्स के लयि:


मनी लॉन्डरगि से नपिटने के लयि भारत में वधिकि और नयायमक ढाँचा, मनी-लॉन्डरगि रोकथाम अधनियम (PMLA) और इसके उद्देश्य, अरथवयवस्था पर मनी लॉन्डरगि का प्रभाव।

धन शोधन नवीरण अधनियम (Prevention of Money Laundering Act- PMLA), 2002 को एक वशिष्ट उद्देश्य के साथ अधनियमति कथि गया था। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदारथ तस्करी के माध्यम से उत्पन्न भारी मात्रा में काले धन (black money) ने कई देशों की अरथवयवस्था के लयि गंभीर खतरा पैदा कर दया है। इस बात को व्यापक रूप से अनुभव कथि गया कि मादक पदारथों के फलते-फूलते व्यापार के माध्यम से उत्पन्न एवं वैध अरथवयवस्था में एकीकृत हो रहा काला धन विश्व अरथवयवस्था को अस्थरि करने और राष्ट्रों की अखंडता एवं संप्रभुता को खतरे में डालने की संभावना रखता है। PMLA, 2002 के तहत कई राजनीतिक नेताओं की हाल में गरिफ्तारी और सरकार की इस पर नरिभरता, इसके प्रावधानों की गहन जाँच की आवश्यकता को उजागर करती है।

### धन शोधन या 'मनी लॉन्डरगि':

- परचियः
  - मनी लॉन्डरगि एक जटलि प्रक्रिया है जसिका उपयोग व्यक्तियों और संगठनों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धन के उदगम/उत्पत्ति को छपिने के लयि कथि जाता है। इसमें लेन-देन की एक शृंखला के माध्यम से अवैध धन को वैध की तरह प्रकट करना शामिल है।
- मनी लॉन्डरगि के चरणः
  - धन का प्रवेश (Placement): यह प्रारंभिक चरण जहाँ अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है। इसमें बैंक खातों में धन जमा करना, मुद्रा वनिमिया या मूल्यवान संपत्तियों की खरीद शामिल हो सकती है।
  - स्तरीकरण (Layering): यह जटलि वित्तीय लेनदेन की एक शृंखला के माध्यम से अवैध धन को उनके स्रोत से पृथक करने की प्रक्रिया है। इसमें प्रायः धन के उदगम को अस्पष्ट करने के लयि वभिन्न खातों के बीच या सीमाओं के पार धनराशस्थानांतरति करना शामिल होता है।
  - एकीकरण (Integration): यह मनी लॉन्डरगि का अंतमि चरण है जहाँ शोधति धन को वैध धन के रूप में अरथवयवस्था में पुनः शामिल कराया जाता है। इसमें व्यवसायों में नविश करना, अचल संपत्तिकी खरीद करना या धन को वैध बनाने के अन्य साधन शामिल हो सकते हैं।
- मनी लॉन्डरगि के तरीके:
  - स्ट्रक्चरिंग या स्मर्फिंग (Structuring/Smurfing): यह नकदी की बड़ी मात्रा को छोटी और कम ध्यानाकरणी राशिभैं तोड़ने की प्रक्रिया है, जिन्हें फरि बैंक खातों में जमा कथि जाता है।
  - व्यापार-आधारति शोधन (Trade-Based Laundering): धन को सीमाओं के पार ले जाने और अवैध धन के स्रोत को छपिने के लयि व्यापार लेनदेन का उपयोग करना।
  - शेल कंपनियाँ (Shell Companies): वैध प्रकट होने वाले लेनदेन के माध्यम से अवैध धन के प्रवाह के लयि ऐसी कंपनियों का नरिमाण करना जो कर्सी वैध व्यावसायकि गतविधियों से संलग्न नहीं होती।
  - अचल संपत्ति (Real Estate): अवैध धन से अचल संपत्ति खरीदना और फरि मूल्य को वैध संपत्ति में बदलने के लयि इसे बेच देना।


# How Money Laundering Works?



## PMLA, 2002:

- परचियः
  - धन शोधन नवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) भारत की संसद का एक अधिनियम है जसे मनी लॉन्ड्रगि को रोकने और मनी लॉन्ड्रगि से प्राप्त संपत्तिको जबूत करने का प्रावधान करने के लिये अधिनियमति किया गया है।
  - इसका उद्देश्य ड्रग टैफकिंगि, स्मगलिंगि और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रगि से मुकाबला करना है।
- PMLA के प्रमुख प्रावधानः
  - अपराध और दंडः PMLA मनी लॉन्ड्रगि संबंधी अपराधों को प्रभास्ति करता है और ऐसी गतिविधियों के लिये दंड आरोपित करता है। इसमें अपराधियों के लिये कठोर कारावास और अरथदंड शामिल है।
  - संपत्तिकी कुरकी-जब्तीः अधिनियम मनी लॉन्ड्रगि से संबद्ध संपत्तिकी कुरकी-जब्ती की अनुमति देता है। यह इन कार्यवाहियों की निरिचारी के लिये एक न्याय नियन्त्रण प्राधिकरण (Adjudicating Authority) की स्थापना का प्रावधान करता है।
  - रपिएरटिंग आवश्यकताएँः PMLA बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों जैसी कुछ संस्थाओं को लेनदेन के रकिंरड बनाए रखने और वित्तीय आसूचना इकाई (Financial Intelligence Unit- FIU) को संदर्भ लेनदेन की रपिएरट करने का आदेश देता है।
  - नरिदिष्ट प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरणः अधिनियम मनी लॉन्ड्रगि संबंधी अपराधों की जाँच एवं अभियोजन में सहायता के लिये एक नरिदिष्ट प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह न्याय नियन्त्रण प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) की स्थापना का भी प्रावधान करता है।
- PMLA के उद्देश्यः
  - नवारण (Prevention): कड़े उपाय लागू कर और वित्तीय लेनदेन की निरिचारी कर मनी लॉन्ड्रगि को रोकना।
  - पता लगाना (Detection): उचित प्रवरतन और नियामक तंत्र के माध्यम से मनी लॉन्ड्रगि के मामलों का पता लगाना और इसकी जाँच करना।
  - जब्ती (Confiscation): अपराधियों का भयादोहन कर उन्हें अपराध से रोकने और अवैध वित्तीय प्रवाह को बाधति करने के लिये मनी लॉन्ड्रगि गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को जबूत करना।
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation): मनी लॉन्ड्रगि और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुवधाजनक बनाना।
- वर्ष 2023 में PMLA, 2002 में संशोधनः
  - अपराध से प्राप्त आय या संपत्तिकी स्थितिशामिल में स्पष्टीकरणः अपराध से प्राप्त आय या संपत्ति (Proceeds of Crime) में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि इसमें अनुसूचित अपराध से संबंधित या इसके समान किसी भी अपराधिक गतिविधि में संलग्नता से प्राप्त की गई कोई अन्य संपत्तिभी शामिल होगी।
  - मनी लॉन्ड्रगि को पुनः प्रभास्ति किया गया: मनी लॉन्ड्रगि एक स्वतंत्र अपराध नहीं था बल्कि यह किसी अन्य अपराध पर निरभर था, जसे विधिय अपराध या अनुसूचित अपराध के रूप में जाना जाता है। संशोधन का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रगि को स्वयं में एक अपराध घोषित करना है।

# A TYPICAL MONEY LAUNDERING SCHEME



## कनि कारकों के कारण PMLA, 2002 को अपनाना आवश्यक हो गया?

- वैश्वकि स्तर पर मादक पदारथों का फलता-फूलता व्यापार:
  - संयुक्त राष्ट्र ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया और वर्ष 1988 में 'नारकोटकि डरग्स और साइकोट्रोपकि पदारथों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' का आयोजन किया। सभी देशों से मादक पदारथों से जुड़े अपराधों और अन्य संबंधित गतिविधियों से प्राप्त आय के शोधन को रोकने के लिये तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया।
- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का गठन:
  - सात प्रमुख औद्योगिक देशों ने वर्ष 1989 में पेरसि में एक शाखिर सम्मेलन का आयोजन किया और मनी लॉन्ड्रगि की समस्या की जाँच करने और इस खिलाफ से नपिटने के उपायों की सफिरशि करने के लिये वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (Financial Action Task Force-FATF) का गठन किया।
  - इसके बाद, वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 'राजनीतिक घोषणा और वैश्वकि कार्ययोजना' (Political Declaration and Global Programme of Action) शीर्षक संकल्प/प्रस्ताव को अंगीकृत किया, जहाँ सभी सदस्य देशों से मादक पदारथों से प्राप्त धन के शोधन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये उपयुक्त कानून बनाने का आह्वान किया गया।
- भारतीय संसद द्वारा अंगीकरण:
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव के अनुसरण में भारत सरकार ने ड्रग मनी लॉन्ड्रगि को रोकने के लिये एक कानून बनाने हेतु FATF की सफिरशि का उपयोग किया।
  - चूंकि मादक पदारथों की तस्करी एक सीमा-पारीय कार्रवाई है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1998 में 'वैश्वकि मादक पदारथ समस्या का मलिकर मुकाबला करना' (Countering World Drug Problem Together) शीर्षक थीम के साथ एक विशिष्ट सत्र का आयोजन किया और मनी लॉन्ड्रगि से नपिटने की तत्काल आवश्यकता पर एक और घोषणा जारी की।
    - तदनुसार, भारतीय संसद ने वर्ष 2002 में धन शोधन नवियम बनाया जो 2005 में लागू किया गया।
- नरसमिहम समतिकी सफिरशि:
  - वर्ष 1998 में भारतीय रजिस्टर बैंक (RBI) द्वारा गठित बैंकगी क्षेत्र सुधारों पर नरसमिहम समति ने भारतीय वित्तीय प्रणाली के भीतर मनी लॉन्ड्रगि संबंधी चित्तिओं को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित किया। इन सफिरशि ने विधियी कार्रवाई को प्रेरित किया।
- पूरववर्ती विधिनों के प्रावधानों का पालन:
  - कानून का मुख्य ध्यान मादक पदारथों से संबंधित धन के शोधन से नपिटने पर है। तदनुसार, वर्ष 2002 के अधनियम में भारतीय दंड संहिता (IPC) तथा स्वापक औषधिओं और मन:प्रभावी पदारथ अधनियम, 1985 में सूचीबद्ध कुछ अपराध शामिल किये गए।
  - संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और FATF की सफिरशि, सभी मादक दवाओं की लॉन्ड्रगि से होने वाले धन की रोकथाम पर केंद्रित हैं। हालांकि, भारत के PMLA ने समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से एक अलग चरतिर प्राप्त कर लिया।
- नोट:
  - PMLA को भारत की संसद द्वारा अनुच्छेद 253 के तहत अधनियमति किया गया था जो इसे अंतर्राष्ट्रीय अभसिमयों को लागू करने के लिये कानून बनाने का अधिकार देता है।

- यह अनुच्छेद इंगति करता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय नकाय के किसी भी नरिण्य को लागू करने के लिये संसद जो कानून बनाएगी वह उस नरिण्य की विधि वस्तु तक ही सीमित होगी।
- संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में मद 13 इस बांदि पर संपष्ट है।

## PMLA, 2002 के संबंध में वभिन्न चतिएँ:

- ‘अपराध की आय’ की अत्यंत व्यापक परभिषा:
  - PMLA के संदर्भ में ‘अपराध की आय’ (proceeds of crime) पद की व्याख्या के संबंध में बहस छाड़ि गई है। कुछ लोगों का तरक है कि परभिषा अत्यधिक व्यापक है और इसमें वैध वित्तीय लेनदेन को भी संलग्न कर लेने की क्षमता है, जिससे इसके दुरुपयोग की स्थिति बिन सकती है।
  - मनी लॉन्डरगि पर कानून अपराध से प्राप्त उस आय के इन्द्र-गरिद घूमता है जिसका शोधन किया जाता है। न केवल अपराध और अपराध से आय के सृजन में सीधे तौर पर शामल व्यक्ति, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी, जिनका अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन बाद के चरण में उनकी लॉन्डरगि प्रक्रिया में कुछ भागीदारी रही, इस कानून के तहत दोषी हैं।
- अपराधों की बड़ी संख्या:
  - PMLA का सबसे गंभीर पहलू यह है कि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे अपराध शामल किये गए हैं जिनका इस कानून के मूल उद्देश्य, यानी ड्रग मनी की लॉन्डरगि से मुकाबला करना, से कोई लेना-देना नहीं है।
  - संयुक्त राष्ट्र के जिस प्रस्ताव के आधार पर भारत में लॉन्डरगि पर कानून बनाया गया था, उसमें केवल ड्रग मनी की लॉन्डरगि के अपराध के बारे में बात की गई थी। इस सबसे गंभीर अत्यधिक अपराध माना गया था, जिसमें वैश्विक अस्थव्यवस्था को अस्थिर करने और राष्ट्रों की संपर्भुता को खतरे में डालने की क्षमता थी।
- साक्ष्य का भार अभियुक्त पर:
  - साक्ष्य के भार (Burden of Proof) के संबंध में आलोचकों का कहना है कि यह PMLA के तहत अभियुक्तों के लिये अनुचित रूप से बोझलि है। साक्ष्य का भार अभियुक्त पर डालने से कई बार निष्पक्ष विचारण (fair trial) सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- अधिकारियों का अतिरिक्त या अत्यधिक हस्तक्षेप:
  - तरक दिया गया है कि यह विधिन अधिकारियों को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, जिससे संभावति रूप से इसके दुरुपयोग और अतिरिक्त (overreach) की स्थिति बन सकती है। कानून प्रवरतन को सशक्त बनाने और व्यक्तिगत अधिकारियों की सुरक्षा करने के बीच संतुलन रखना एक सूक्ष्म चुनौती प्रस्तुत करता है।
- जमानत की कठोर शर्तें:
  - भारत में PMLA मनी लॉन्डरगि अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर कठोर जमानत शर्तें लागू करने की अनुमति दिता है।
  - एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र का एक बुनियादी सदिधांत यह है कि किसी व्यक्तिको दोषी साबति होने तक निर्दोष माना जाए। PMLA इस सदिधांत को पूरी तरह पलट देता है।
  - किसी आरोपी को अदालतों के पूरे पदानुक्रम द्वारा जमानत से वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि PMLA की धारा 45 में नहित जमानत प्रावधान कहता है कि एक न्यायाधीश केवल तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि आरोपी निर्दोष है।
- गरिफ्तारी के आधार की लिखित सूचना के बना व्यक्तिकी गरिफ्तारी:
  - संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19(1) का उल्लंघन करते हुए गरिफ्तारी के लिये केवल मौखिक संचार पर निर्भर रहना अपराध प्रस्तुत माना जाता है। प्रवरतन निदिशालय (ED) के अधिकारियों ने एक उल्लेखनीय अवधि के लिये लगातार इन प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

## PMLA, 2002 में सुधार के लिये किन सुझावों को लागू करने की आवश्यकता है?

- ‘अपराध की आय’ की परभिषा का परशिद्धन:
  - वित्तीय संचालन को बाधित कर सकने वाली संभावति अस्पष्टता को कम करने के लिये PMLA में ‘अपराध की आय’ की अधिक सटीक परभिषा प्रस्तुत की जाए।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक संपष्ट, व्यापक परभिषा का मसौदा तैयार करने के लिये कानूनी विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों और संबंधित हितधारकों से इनपुट ग्रहण किये जाएँ।
- साक्ष्य के भार का पुनर्मूल्यांकन करना:
  - अभियुक्त पर साक्ष्य के भार का मूल्यांकन किया जाए, विशेष रूप से अन्य अभियुक्तों या व्यक्तियों के बयानों पर निर्भरता के संबंध में।
  - साक्ष्य का एक उचित भार सुनिश्चित करने पर विचार करें जो संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों की सुरक्षा करते हुए निष्पक्ष विचारण की आवश्यकता को संतुलित करें।
  - अभियोजन पक्ष और अभियुक्त के बीच साक्ष्य के भार के अधिक न्यायसंगत वितरण के लिये आवश्यक संशोधनों पर विचार करें।
- अधिकारियों के अतिरिक्त के विद्युद सुरक्षा उपाय:
  - अधिकारियों द्वारा संभावति अतिरिक्त को रोकने के लिये, विशेष रूप से राजनीतिक वरिधियों से जुड़े मामलों में, अतिरिक्त नियंत्रण एवं संतुलन लागू करें।
  - व्यक्तिगत अधिकारों और नजिता की रक्षा के लिये जाँच के तरीकों के बारे में संपष्ट दशानिर्देश और प्रोटोकॉल स्थापति करें; कानूनी रूप से उचित संपत्ति जिब्ती और उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें।
  - मनी लॉन्डरगि मामलों में कानून प्रवरतन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी के लिये एक स्वतंत्र नियिक्षण तंत्र स्थापति करें।
- जमानत की कठोर शर्तों की समीक्षा करना:
  - जमानत की कठोर शर्तों की आवश्यकता और आरोपी व्यक्तियों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये, विशेष रूप से PMLA की धारा

45 के तहत, इसकी व्यापक समीक्षा करें।

- कथति पूर्वाग्रह या अनुचित कठनाई को दूर करते हुए, मनी लॉन्डरगि मामलों के लिये जमानत प्रक्रयियाओं को अन्य वित्तीय अपराधों पर लागू होने वाली प्रक्रयियाओं के साथ संरेखित करने पर चियाकरण करें।
- जाँच की सत्यनिष्ठा से समझौता करिये बना जमानत नियम प्रक्रया को सुव्यवस्थित करने के विकल्पों की तलाश करें।

#### ■ PMLA की आवधकि समीक्षा और संशोधन:

- PMLA की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता का आकलन करने, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिये एक आवधकि समीक्षा तंत्र स्थापित करें।
- कानूनी विशेषज्ञों, विधिनिरिमाताओं और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामल करते हुए PMLA में संभावित संशोधनों पर संसदीय चर्चा एवं बहस को प्रोत्साहित करें।

#### ■ ED की स्वतंत्रता और पारदर्शना में वृद्धिकरना:

- प्रवर्तन नियमिति (ED) की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करिया जाए, जहाँ सुनिश्चित करिया जाए कि उसकी कार्रवाई राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो।
- ED के कार्यकरण में (नियमिति रपिरेटिंग एवं प्रबंधन मामलों का खुलासा करने, दोषसदिधि सुनिश्चित करने और कार्रवाई करने सहित) पारदर्शना बढ़ाने के उपाय पेश करें।

#### ■ जन जागरूकता और शक्षिया:

- PMLA के उद्देश्य, प्रक्रयियाओं और नियमिति के बारे में नागरिकों को शक्षिति करने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाये जाएं।
- व्यक्तिगत अधिकारों एवं कानूनी सुरक्षा उपायों की समझ को बढ़ावा दिया जाए; कानून प्रवर्तन ऐंसायों एवं जनता के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करिया जाए।

#### ■ परामर्शी दृष्टिकोण:

- नीति नियमिति प्रक्रया में परामर्शात्मक एवं समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाए, जहाँ कानून विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों, वित्तीय संस्थानों और आम लोगों से इनपुट ग्रहण करिया जाए।
- चतिआओं को संबोधित करने और प्रस्ताविति सुधारों पर विविध दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिये खुले संवाद एवं परामर्श में संलग्न हों। सुधारों के कार्यान्वयन की सतत नियमिति एवं मूल्यांकन के लिये तंत्र स्थापित करिया जाएं।
- वैश्वकि मानकों पर अद्यतन बने रहने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रयि रूप से भागीदारी करें और मनी लॉन्डरगि के विद्युत अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आकार देने में योगदान करें।

## निषिकरण:

PMLA के अधीन मामलों में जमानत के लिये वर्तमान नियायिक दृष्टिकोण अत्यधिकि तकनीकी प्रतीत होता है। न्यायमूरतवी.आर. कृष्णा अययर ने वर्ष 1978 में गुडकिंती नरसमिहुलु मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्त्व पर बल दिया था और कहा था कि जमानत से इनकार करना अनुच्छेद 21 के तहत एक गंभीर नियायिक उत्तरदायतिव है, जिसके लिये व्यक्ति और समाज पर इसके प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। समय के साथ विभिन्न संशोधनों ने डरग मनी लॉन्डरगि से परे के अपराधों को शामल करने के लिये PMLA के दायरे का वसितार करिया है, जिससे इसके मूल इरादे के बारे में चतिआं उत्पन्न हुई हैं। PMLA का विकास मनी लॉन्डरगि को संबोधित करने में जारी चुनौतियों को रेखांकित करता है और वित्तीय अपराध से निपटने तथा कानूनी प्रणालियों के भीतर निषिकरण एवं नियाय के संदर्भांतों की सुरक्षा करने के बीच संतुलन पाने के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

**अभ्यास प्रश्न:** हाल के संशोधनों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मनी लॉन्डरगि से निपटने में विधायी ढाँचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न:** चर्चा कीजिये कि किसी प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्डरगि में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्डरगि की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। (2021)